उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक: 10 अगस्त, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जांच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-जी-602/जांच अनु0/4500/गंगा, दिनांक 03.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की द्वारा शासकीय कार्यो को समयबद्धता के साथ सम्पादित न किये जाने से इनकी शिथिलता एवं लापरवाही के कारण शासकीय कार्यो के सम्पादन में बहुधा विलम्ब की स्थिति बनी रहने, अपने उच्चाधिकारियों/अधीनस्थों से सामन्जस्य ठीक नहीं रहने के कारण राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने, परियोजनाओं एवं अन्य मदों में धनराशि आवंटित होने पर भी कार्यदायी संस्था को भुगतान विलम्ब से किये जाने से खण्ड में अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने, कार्यो की नई परियोजनाओं का प्रेषण, सम्पादित कराये गये कार्यो से सम्बन्धित समयवृद्धि प्रकरण, विचलन समय से प्रेषित न कर काफी विलम्ब से अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में प्रेषित किये जाने, माह मई एवं जून, 2023 में चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के सेवा सम्बन्धी प्रकरण पर उचित निर्णय न लेने के कारण धरना प्रदर्शन होना, अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन न कर उच्च स्तर से अनावश्यक पत्राचार करने, दिनांक 16.07.2023 की सायं को हरिद्वार स्थित भीमगौड़ा का गेट संख्या-10 क्षतिग्रस्त हो जाने पर अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ द्वारा मौके पर निरीक्षण में पाया गया कि रजिस्टर में दिनांक 16.07.2023 दिन रविवार की सायं 5:00 बजे गेट संख्या-10 की ओपनिंग 02 मीटर दर्ज थी तथा रजिस्टर में सायं 5:45 बजे गेट का रस्सा टूटना दर्शाया गया था, के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 16.07.2023 को लगभग सायं 7:30 बजे श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता को रूटीन कॉल के दौरान बताया गया कि बैराज का गेट संख्या-10 क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि गेट क्षतिग्रस्त होने की सूचना स्वयं पहल करते हुये दूरभाष पर अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य उच्चाधिकारी को न दिया जाना, भीमगौड़ा बैराज ऊपरी गंगा नहर प्रणाली की एक महत्वपूर्ण हाइड्रोलिक संरचना है, जिसके रख-रखाव एवं संचालन का सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन संवेदनशीलता/सजगता तथा अपने अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारियों एवं अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच सामन्जस्य स्थापित होने के कारण समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच लड़ाई-झगड़े की स्थिति बनी रहने तथा बैराज जैसे महत्वपूर्ण संरचना पर गेट क्षतिग्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न के कारण उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया के माध्यम से विभाग की छवि धूमिल हुई है।

Scanned with CamScanner

इस सम्पूर्ण परिस्थिति के लिये श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी को पूर्ण रूप से दोषी एवं उत्तरदायी पाते हुए उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने तथा उक्त नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत निलम्बित किये जाने की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी।

2. उपर्युक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत यह प्रकाश में आया कि श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की द्वारा शासकीय कार्यो को समयबद्धता के साथ सम्पादित नही किया जाना, इनके उच्चाधिकारियों एवं अधीनस्थों के साथ सामन्जस्य ठीक नहीं रहने के कारण राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होना, चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के सेवा सम्बन्धी प्रकरण पर उचित निर्णय न लेने के कारण माह मई एवं जून, 2023 में धरना प्रदर्शन होना, दायित्वों के निर्वहन के प्रति संवेदनशीलता व सजगता न होने तथा अपने अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारियों एवं अन्य कार्मिको के बीच सामन्जस्य स्थापित होने के कारण समय-समय लड़ाई-झगड़े की स्थिति बनी रहने तथा बैराज जैसे महत्वपूर्ण संरचना पर गेट क्षतिग्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न के कारण उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया के माध्यम से विभाग की छवि धूमिल की उपर्युक्तानुसार गम्भीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं हेतु श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की को प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की को उपर्युक्त अनियमिताओं हेतु प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या-आई/366826/2023-27-5099/119/2023 दिनांक 10 अगस्त, 2023 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

4. अतएव श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की जिनके विरूद्ध उपर्युक्त गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित है, को श्री राज्यपाल एतद्द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं। निलम्बन की अवधि में श्री नलिन वर्धन, अधिशासी

Scanned with CamScanner

अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

5. निलम्बन की अवधि में श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी, तथा जिन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ता का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

6. उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

Signed by अनिल गर्ग
Date: 10-08-2023 16:16:10
Reason: Approved

(अनिल गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बन्धित अधिकारी की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Scanned with CamScanner

3.वित्त नियंत्रक,कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ 0 प्र 0, लखनऊ।

4.मुख्य अभियन्ता (परिवाद), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5.सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1/6

6.सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग।

7 गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रविष्टि/जांच पंजी प्रविष्टि।

8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (जांच)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता।

आज्ञा से,

(चन्द्र भूषण)

अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-5
लखनऊ : दिनांक: 10 अगस्त, 2023
कार्यालय-ज्ञाप

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जांच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-जी-602/जांच अनु0/4500/गंगा, दिनांक 03.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की द्वारा शासकीय कार्यो को समयबद्धता के साथ सम्पादित न किये जाने से इनकी शिथिलता एवं लापरवाही के कारण शासकीय कार्यो के सम्पादन में बहुधा विलम्ब की स्थिति बनी रहने, अपने उच्चाधिकारियों/अधीनस्थों से सामन्जस्य ठीक नहीं रहने के कारण राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने, परियोजनाओं एवं अन्य मदों में धनराशि आवंटित होने पर भी कार्यदायी संस्था को भुगतान विलम्ब से किये जाने से खण्ड में अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने, कार्यो की नई परियोजनाओं का प्रेषण, सम्पादित कराये गये कार्यो से सम्बन्धित समयवृद्धि प्रकरण, विचलन समय से प्रेषित न कर काफी विलम्ब से अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में प्रेषित किये जाने, माह मई एवं जून, 2023 में चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के सेवा सम्बन्धी प्रकरण पर उचित निर्णय न लेने के कारण धरना प्रदर्शन होना, अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन न कर उच्च स्तर से अनावश्यक पत्राचार करने, दिनांक 16.07.2023 की सायं को हरिद्वार स्थित भीमगौड़ा का गेट संख्या-10 क्षतिग्रस्त हो जाने पर अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ द्वारा मौके पर निरीक्षण में पाया गया कि रजिस्टर में दिनांक 16.07.2023 दिन रविवार की सायं 5:00 बजे गेट संख्या-10 की ओपनिंग 02 मीटर दर्ज थी तथा रजिस्टर में सायं 5:45 बजे गेट का रस्सा टूटना दर्शाया गया था, के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 16.07.2023 को लगभग सायं 7:30 बजे श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता को रूटीन कॉल के दौरान बताया गया कि बैराज का गेट संख्या-10 क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि गेट क्षतिग्रस्त होने की सूचना स्वयं पहल करते हुये दूरभाष पर अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य उच्चाधिकारी को न दिया जाना, भीमगौड़ा बैराज ऊपरी गंगा नहर प्रणाली की एक महत्वपूर्ण हाइड्रोलिक संरचना है, जिसके रख-रखाव एवं संचालन का सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन संवेदनशीलता/सजगता तथा अपने अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारियों एवं अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच सामन्जस्य स्थापित होने के कारण समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच लड़ाई-झगड़े की स्थिति बनी रहने तथा बैराज जैसे महत्वपूर्ण संरचना पर गेट क्षतिग्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न के कारण उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया के माध्यम से विभाग की छवि धूमिल हुई है। इस सम्पूर्ण परिस्थिति के लिये श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की को पूर्ण रूप से दोषी एवं उत्तरदायी पाते हुए उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने तथा उक्त नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत निलम्बित किये जाने की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी।

2. उपर्युक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत यह प्रकाश में आया कि श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूड़की द्वारा शासकीय कार्यो को समयबद्धता के साथ सम्पादित नही किया जाना, इनके उच्चाधिकारियों एवं अधीनस्थों के साथ सामन्जस्य ठीक नहीं रहने के कारण राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होना, चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के सेवा सम्बन्धी प्रकरण पर उचित निर्णय न लेने के कारण माह मई एवं जून, 2023 में धरना प्रदर्शन

Scanned with CamScanner

होना, दायित्वों के निर्वहन के प्रति संवेदनशीलता व सजगता न होने तथा अपने अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारियों एवं अन्य कार्मिको के बीच सामन्जस्य स्थापित होने के कारण समय-समय लड़ाई-झगड़े की स्थिति बनी रहने तथा बैराज जैसे महत्वपूर्ण संरचना पर गेट क्षतिग्रस्त होने की स्थिति उत्पन्न के कारण उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया के माध्यम से विभाग की छवि धूमिल होने की गम्भीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं हेतु श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी को प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव श्री नलिन वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

Signed by अनिल गर्ग
(अनिल गर्ग)
Date: 10-08-2023 16:15:35
प्रमुख सचिव
Reason: Approved

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बन्धित अधिकारी की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना तथा आरोप पत्र संगत अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य सहित तैयार कर शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1/6
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
4. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रविष्टि।
5. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जाँच) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता।

आज्ञा से,

(चन्द्र भूषण)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner